तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 499/2024 अनवान आसुराम बनाम मगाराम वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02/04/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त। वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 व 08 से 09 व 14 उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मौजा जाणियावास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 375/152 रकबा 5.8275 हेक्टयर, भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित भुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 व 08 से 09 व 14 द्वारा जवाब पे ा किया गया है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ और न ही विप्रार्थीगण के खेत मध्य पक्की माठे व सेढे में कोई तोड़फोड़ की गई, प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतो के मध्य पक्की माठे वक्त सेटलमेंट से बने हुए है, विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 379/153 की भूमि की नेखमवंदी की जाती है तो अप्रार्थीगण की जमीन कम हो जाएगी क्योंमिक सभी पड़ोसियो के खेतो के नाप में फर्क आ रहा है ऐसी स्थिति में तहसीलदार को सम्मिलित करते हुए कमेटी बनाकर ही पैमाइ ा करावें। अप्रार्थी संख्या के अधिवक्ता 04 से 06 व 08 से 09 व 14 द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को छोड़कर प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नहीं है। उभय पक्षों को सुनने के प चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा जाणियावास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 375/152 रकबा 5.8275 हेक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्यवाई प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्शाकाल में खड़ी फसल पर सीमाज्ञान/पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 को मद्देनजर) की जावे। कमी नर फीस 500/— अक्षरे एक पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल—सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Veerma Ram Date: 2025.06.26 17:43:07 IST Reason: SelfAttested उप खण्ड अधिकारी बाडमेर	